भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं. 46
03 फरवरी, 2026 को उत्तरार्थ

विषय: जैविक खेती को बढ़ावा देना

***46. श्री धैर्यशील राजसिंह मोहिते पाटील**
श्रीमती सुप्रिया सुलेः

क्या **कृषि और किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने महाराष्ट्र में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए विशेषकर परंपरागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई) के कार्यान्वयन के माध्यम से प्रभावी कदम उठाए हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है;
(ख) महाराष्ट्र में जैविक खेती के अंतर्गत कुल कितना भूक्षेत्र लाया गया है और जैविक खेती करने वाले प्रमाणित किसानों की जिला-वार संख्या कितनी है;
(ग) कितने पीकेवीवाई संकुल संस्वीकृत किए गए हैं, कितनी धनराशि जारी की गई है और कितनी धनराशि उपयोग में लाई गई है और वास्तव में किसानों तक कितनी निर्धारित सहायता पहुंच गई है;
(घ) क्या सरकार ने पीकेवीवाई के अंतर्गत पारंपरिक जैविक कृषि पद्धतियों की आर्थिक व्यवहार्यता, उपज संबंधी निष्पादन और आय संबंधी परिणामों का आकलन किया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ङ) महाराष्ट्र में जैविक खेती करने वाले किसानों को प्रदान किए गए अतिरिक्त प्रोत्साहनों, बाजार संपर्कों, प्रमाणन सहायता और मूल्य प्राप्ति तंत्र का ब्यौरा क्या है;
(च) क्या कृषि विज्ञान केन्द्रों, कृषि विश्वविद्यालयों और गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से पर्याप्त प्रशिक्षण, प्रदर्शन और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं; और
(छ) कार्यान्वयन में किन-किन कमियों की पहचान की गई है और किसानों द्वारा जैविक खेती को अपनाए जाने और उनकी आय बढ़ाने के लिए क्या सुधारात्मक उपाय किए जाने का विचार है?

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान)

(क) से (छ): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

"जैविक खेती को बढ़ावा देने" के संदर्भ में लोक सभा में दिनांक 03.02.2026 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 46 के भाग (क) से (छ) तक के संबंध में उललिखित विवरण

(क) से (ग): वर्ष 2015-16 से, महाराष्ट्र राज्य में परम्परागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई) के माध्यम से जैविक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। पीकेवीवाई योजना जैविक खेती में लगे किसानों को उत्पादन से प्रसंस्करण, प्रमाणीकरण से विपणन तक, संपूर्ण सहायता देने पर बल देती है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य आपूर्ति श्रृंखला बनाने के लिए छोटे और सीमांत किसानों को प्राथमिकता देते हुए जैविक क्लस्टर बनाना है। यह योजना राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकारों के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है। इस योजना के अंतर्गत जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए 3 वर्षों में प्रति हेक्टेयर 31,500 रुपये की सहायता प्रदान की गई है। इसमें से प्रति हेक्टेयर 15,000 रुपये की सहायता किसानों को ऑन फार्म/ऑफ फार्म जैविक इनपुट के लिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से प्रदान की जाती है।

वर्ष 2015-16 से (दिनांक 31.12.2025 तक), महाराष्ट्र में परम्परागत कृषि विकास योजना के तहत, 68,012 हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करते हुए, 89,595 किसानों को लाभ पहुंचाते हुए कुल 2,978 क्लस्टर बनाए गए हैं। 265.82 करोड़ रुपये के आवंटन की तुलना में, इस अवधि के दौरान 160.93 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई। इसमें से, 142.13 करोड़ रुपये महाराष्ट्र राज्य द्वारा व्यय किया गया है। जिलावार आंकड़े केंद्रीय स्तर पर नहीं रखे जाते हैं।

(घ): नीति आयोग द्वारा वर्ष 2025 में किए गए मूल्यांकन में देश में कृषि संबंधी लाभों को देखते हुए जैविक खेती पद्धतियों को बढ़ावा देने की प्रभावशीलता का आकलन किया गया। मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार, 75.85% किसानों ने जैविक पद्धतियों को अपनाकर मिट्टी की उर्वरता में उल्लेखनीय सुधार होने, रासायनिक इनपुट की लागत में कमी आने या उपज की गुणवत्ता में वृद्धि होने के विषय में बतलाया है।

(ड.): पीकेवीवाई के तहत, विपणन और ब्रांडिंग के लिए 4,500 रुपये प्रति हेक्टेयर, प्रमाणीकरण के लिए 3,000 रुपये प्रति हेक्टेयर और प्रशिक्षण, जागरूकता और क्षमता निर्माण के लिए 9,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की वित्तीय सहायता, तीन वर्षों की अवधि के दौरान प्रदान की जाती है। महाराष्ट्र में वैल्यू एडिशन और विपणन सुविधाएं प्रदान करने के लिए 22.50 लाख रुपये का प्रावधान प्रत्येक किसान उत्पादक संगठन (एफपीसी) को किया गया है और अब तक 68 एफपीसी को इसके अंतर्गत शामिल किया गया है।

जैविक उत्पादों के विपणन को बढ़ावा देने के लिए, सरकार ने कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के माध्यम से सहभागी गारंटी प्रणाली (पीजीएस)-भारत जैविक प्रमाणन कार्यक्रम आरंभ किया है, जिससे किसानों को जैविक उत्पादों का प्रीमियम मूल्य प्राप्त करने में मदद मिलती है। पीकेवीवाई के अंतर्गत, पीजीएस-भारत जैविक प्रमाणन प्रणाली के तहत महाराष्ट्र में अब तक 36,403 किसानों को 1,44,583 प्रमाण पत्र जारी किए जा चुके हैं।

(च) एवं (छ): कृषि विज्ञान केंद्रों (केवीके) और कृषि विश्वविद्यालयों की सहभागिता में जैविक खेती पर काफी मात्रा में प्रशिक्षण, प्रदर्शन और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। वर्ष 2024-25 के दौरान, राज्य के केवीके ने किसानों के लिए 571 प्रशिक्षण कार्यक्रम, 501 प्रदर्शन और 561 जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए। इसके अतिरिक्त, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर), अखिल भारतीय प्राकृतिक कृषि नेटवर्क कार्यक्रम (पूर्व में जैविक खेती पर एआईएनपी) के माध्यम से, 16 राज्यों में 20 सहयोगी केंद्रों के साथ मिलकर फसल प्रणाली और कृषि

प्रणाली दोनों दृष्टिकोणों से जैविक फसल उत्पादन के लिए व्यापक पद्धतियों का विकास कर रही है। इस कार्यक्रम में 11 राज्य कृषि विश्वविद्यालय, 8 आईसीएआर संस्थान/केंद्र और 01 डीम्ड विश्वविद्यालय शामिल हैं। इस परियोजना के अंतर्गत महाराष्ट्र के दापोली स्थित डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ (डॉ. पीडीकेवी) के अधीन, कर्जत में एक केंद्र सक्रिय रूप से कार्य कर रहा है। जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए केंद्र द्वारा कुल 164 जागरूकता और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं तथा 440 प्रदर्शन भी किए गए हैं।

******